रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895

No. 74] **NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st March 1973

SUB :—*Scheme for the licensing of mill-made/ handloom cotton blouses, shirts and bedlinen for export to SWEDEN during the period April 73—March, 74.*

No. 14 ETC(PN)/73—Reference Exports (Control) Seventh Amendment Order, 1973, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 31st March, 1973.

2. It has been decided to bring under export trade control mill-made/handloom cotton blouses, shirts and bedlinen for export to Sweden. Details of the Scheme relating to the export of mill-made/handloom cotton blouses, shirts and bedlinen from India to SWEDEN during the period 1st April, 1973 to 31st March 1974 are given below :—

Swedish Tariff Classification No.	Description
61·02·505	Blouses, not knitted or crocheted, wholly or mainly of cotton, women's and girls' wear.
61·03·105	Shirts, not knitted or crocheted, wholly or mainly of cotton, men's and boy's wear.
62·02·105	Bedlinen, wholly or mainly of cotton.

3. Exports will be allowed from any port in India.

4. Quotas shall be allotted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay or its authorised representative at upcountry ports of Delhi, Ahmedabad, Calcutta, Madras, Tuticorin and Cochin by way of Endorsements on Shipping Bills on first-come-first-served basis. As soon as the ceiling for any of the items mentioned above is reached, the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay shall stop forthwith allotment of quotas. Licensing endorsements against such allotments shall be made by the concerned export control authorities at the port of shipment.

5. Such imports into SWEDEN will be admitted by the competent Swedish authorities only on presentation of the Export Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the Swedish authorities would admit imports of the items mentioned above.

6. The procedure for obtaining the export certificate shall be as follows :—

Exporters shall be required to submit to the Cotton Textiles Export Promotion Council's representative at Bombay and upcountry ports, along with the shipping documents, an application for issue of Export Certificate in the prescribed proforma; on the basis of which an Export Certificate will be issued to them. This Export Certificate will be required to be sent to their Swedish buyers in order to obtain clearance from the Swedish authorities.

In all cases, the exporters shall prepare an extra copy of the shipping bill, which will be retained by the authorised representative of the cotton textile export promotion council, at the time of allocation of quota.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the quota issuing authority viz. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.

8. A non-refundable charge of Rs. 2·50 per 1000 kgs/1000 pcs. will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2·50.

9. All shippers shall have to submit monthly reports to The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the following month.

10. The Cotton Textiles Export Promotion Council shall (a) supervise the entire scheme, (b) keep a watch over the performance from time to time, (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the Scheme and (d) make such changes in the scheme as they deem fit from time to time. The Council shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, inter-alia, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows :—

"ENGINEERING CENTRE,
5TH FLOOR,
9, MATHEW ROAD,
BOMBAY-4."

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

विषय : अप्रैल, 1973/मार्च, 1974 की अवधि के दौरान स्विडन को मिल निर्मित/हाथ करघा की सूती ब्लाउजों, कमीजों तथा बेड लाइनेन के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

एस० ओ० संख्या : 14 ईटीसी (पी एन)/73:—31 मार्च, 1973 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1973 के संदर्भ में ।

2. यह निश्चय किया गया है कि स्विडन के लिए मिल निर्मित/हाथ करघा की सूती ब्लाउजों कमीजों तथा बेड लाइनेन के निर्यात को निर्यात व्यापार नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाए। 1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च, 1974 की अवधि के दौरान भारत से स्विडन को मिल निर्मित/हाथ करघा की सूती ब्लाउजों, कमीजों तथा बेड लाइनेन के निर्यात से संबंधित योजना के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

स्विडन टैरिफ विशिष्टिकरण सं०	विवरण
61.02.505	ब्लाउज, बुनी हुई या कांटे से बुनाई की हुई नहीं, सूती की पूर्णतः, या मुख्यतः औरतों तथा लड़कियों के पहनावे।
61.03.105	कमीजें, बुनी हुई या कांटे से बुनाई की हुई नहीं, सूती की सम्पूर्णतः या मुख्यतः, पुरुषों तथा लड़कों का पहनावा।
62.02.105	बेडलाइनेन, सूती के सम्पूर्णतः या मुख्यतः।

3. कोटे निर्यात भारत के किसी भी पत्तन से स्वीकृत होंगे।

4. कोटे के आबंटन अलग-अलग पोतलदानों के मद्दे पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन द्वारा पहले आए-सो-पहले पाए के आधार पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई द्वारा या दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास, तूतीकोरिन तथा कोचीन के देहाती बन्दरगाहों पर इसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए जायेंगे। जैसे ही उपर्युक्त मदों के लिए उच्चतम सीमा पहुंच जाती है, तो सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई कोटे का आगामी आबंटन बन्द कर देगी। इस प्रकार के आबंटनों के मद्दे लाइसेंस के लिए पृष्ठांकन पोतलदान के बन्दरगाहों पर सम्बद्ध निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किए जाएंगे।

5. स्विडन के इस प्रकार के आयातों की स्वीकृति सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए केवल निर्यात प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही स्विडन के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी। इसी प्रमाण-पत्र के आधार पर स्विडन प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित मदों के आयात की अनुमति देंगे।

6. निर्यात प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी :—

निर्यातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए बम्बई तथा देहाती बन्दरगाहों पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि को पोतलदान प्रलेखों के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें जिसके आधार पर उनको प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र को स्विडन प्राधिकारियों से निकासी प्राप्त करने के विचार से उनके स्विडन खरीददारों को भेजना आवश्यक होगा।

सभी मामलों में, निर्यातकों को पोतलदान की एक अतिरिक्त प्रति तैयार करनी होगी जिसे कोटे का आवंटन करते समय सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का प्राधिकृत प्रतिनिधि रख लेगा।

7. लाइसेंसों तथा कोटे का हस्तांतरण कोटा जारी करने वाले प्राधिकारी अर्थात सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई की लिखित अनुमति लिए बिना नहीं किया जाएगा।

8. कोटे को जारी करने के लिए प्रति 1000 किलो/1000 नग पर 2.50 रुपये का आवेय प्रभार सूती वस्त्र संवर्धन परिषद द्वारा वसूला जाएगा, यह कम से कम 2.50 रुपये के अधीन है ।

9. सभी पोतवणिकों को उनको जारी किए गए अलग-अलग लाइसेंसों के मद्दे पोतलदानों के ब्यौरे को देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट देनी पड़ेगी । ये ब्यौरे आगामी माह की 10 तारीख तक परिषद के पास पहुंच जाने चाहिएं ।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के ये कार्य होंगे—(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय-समय पर कार्य निष्पादन की निगरानी करना, (ग) योजना के परिचलन से संबंधित उत्पन्न विभिन्न विषयों की व्याख्या करना तथा निर्णय देना और (घ) योजना में ऐसा परिवर्तन करना जिसे वे समय-समय पर ठीक समझे । अन्य बातों के साथ, परिषद को यह अधिकार होगा कि आवेदक को कोटे के लिए अधिकारी होने से पूर्व उसके द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों की व्यवस्था करते हुए समय-समय पर नियमों तथा विनियमों का निर्माण करे । उसको यह भी अधिकार होगा कि बिना किसी कारण का निर्देश किए ही कोटे को रोक ले या उसे रद्द करे और कोटे के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दे ।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता इस प्रकार है :—

"इंजीनियरिंग सेन्टर,
पांचवीं मंजिल,
9, मैथ्यू रोड,
बम्बई—4."

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973